कार्यालय नगर पालिक निगम कोरबा (छ.ग.)

फा.क्र..../स्व.भा.मि./14/2017 कोरबा दिनॉक ..12/04/17

द्वितीय रूचि की अभिव्यक्ति

नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा स्वच्छ भारत मिशन सुविधा–24 योजनांतर्गत स्वीकृत 09 नग सामुदायिक सह शौचालयो (प्रत्येक 10 सीट) निर्माण हेतु 30 वर्षो की रखरखाव व्यवस्था सुविधा–24 के आधार पर पंजीकृत अशासकीय संस्थानो (एन.जी.ओ.) से रूचि की अभिव्यक्ति हेतु दिनांक..06:05:17....को साय 05:30 बजे तक आमंत्रित किया जाता है। सभी ऑर ई–प्रॉक्युरमेंट के माध्यम से एतद् द्वारा ऑफर आमंत्रित किया जाता है।

शर्तेः–

1. संस्था पंजीकृत हो तथा किसी राज्य सरकार या सरकारी प्रतिष्ठान से मान्यता प्राप्त हो प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करना होगा।
2. संस्था का वार्षिक व्यापारावर्त (टर्न ओवर) न्यूनतम रूपये 50 लाख को प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करना होगा।
3. संस्था द्वारा गत 03 वर्षो मे 50 यूनिट सार्वजनिक शौचालयो के निर्माण एवं संधारण का कार्य किया गया हो। इस आशय का प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करना होगा।
4. संस्था को कम से कम 10 वर्षो का सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण एवं संधारण का अनुभव हो इस आशय का प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करना होगा।
5. संस्था के पास स्वयं की वास्तुविद एवं समाजशास्त्री उचित संस्था मे कार्यरत हो इस आशय का प्रमाण पत्र सत्यापित प्रति संलग्न करना होगा।
6. कार्य 06 माह मे पूर्ण कर देना होगा (वर्षा ऋतु छोडकर)।
7. अशासकीय संस्था द्वारा कार्य अवधि पूर्ण न करने पर संबंधित अशासकीय संस्था से लागत मुल्य का 0.1 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से विलबिंत अवधि हेतु दण्डित राशि वसूलनी होगी।
8. छ.ग. शासन के पत्र कमांक –09/स्व.भा.मि./कोरबा/2016/4821 नया रायपुर दिनांक 29.02.2016 के संसोधित निर्देशानुसार नगरीय निकाय एवं एन.जी.ओ. से अनुबंध निष्पादन करना होगा।
9. उपरोक्त कार्य का प्राक्कलन राशि रूपये 164.00 लाख है जिसे लो.नि.वि. दिनांक 01.01.2015 एवं विघुत हेतु 15.04.2010 से प्रचलित एवं ऑफर जारी दिनांक तक संशोधित S.O.R. तैयार किया गया है जिसका अनुमोदन राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा किया गया है।
10. ई.ओ.आई. दाता को शौचालय का 30 वर्षो तक पर्यवेक्षण एवं मरम्मत करना अनिवार्य होगा।
11. शासन के देय समस्त रॉयल्टी/करो/शुल्को का भुगतान करने की जवाबदारी अशासकीय संगठनो की होगी।
12. ऑफर स्वीकृति होने पर संबंधित अशासकीय संगठनो को नगर निगम मे उपस्थित होकर 03 दिवस के भीतर अनुबंध निष्पादित करना होगा एवं आदेश प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर कार्य प्रारंभ करना होगा।
13. कार्य प्रारंभ न करने की स्थिति मे निरस्त करने का अधिकार नगर पालिक निगम कोरबा के पास सुरक्षित होगा। एन.जी.ओ. का नाम काली सूची मे दर्ज किया जायेगा।
14. सभी प्रमाण पत्र सत्यापित होना चाहिए एवं आवश्यक होने पर मूल प्रति अवलोकन हेतु कार्यालय मे उपलब्ध करना होगा।
15. किसी भी ऑफर को स्वीकृत एवं अस्वीकृत करने का निर्णय नगर पालिक निगम कोरबा का सर्वमान्य होगा।
16. शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देश मे परिवर्तन होने पर संशोधित आदेश मान्य होगा।
17. उपरोक्त कार्य का ऑफर अनुमोदित प्राक्कलन पृथक से लिफाफे मे देना होगा।

18. कार्य हेतु प्राक्कलन की 0.75 प्रतिशत राशि रूपये 123200/– की अमानत राशि की टी.डी.आर. के रूप मे ऑफर के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।
19. ऑफर मे भाग लेने वाले एन.जी.ओ. को आवेदन के साथ उपरोक्तानुसार आवश्यक दस्तावेज की सत्य प्रतिलिपि एवं पूर्व मे इस प्रकार किये कार्यो का अनुभव प्रमाण पत्र उपलब्ध तकनीकी अमले की जानकारी आयकर प्रमाण पत्र/पेनकार्डएवं छ.ग. वाणिज्य पंजीयन प्रमाण एवं अमानत राशि एफ.डी.आर./टी.डी.आर./ई.एस.आई.सी. जो आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा के नाम पर देय होगा स्कैन कर वेबसाईड मे अपलोड करना अनिवार्य होगा।
20. अमानत राशि के रूप मे एफ.डी.आर./टी.डी.आर. जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा के नाम पर देय हो एवं अन्य दस्तावेज ऑफर खुलने के दिनांक के 01 दिन के पूर्व तक कार्यलयीन समय मे संबंधित शाखा मे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
21. ऑफर ऑनलाईन वेबसाईड के मॉध्यम से मंगाई जा रही है। इसलिए शासकीय अवकाश के दिवस मे भी ऑनलाईन ऑफर डाउनलोड की जा सकती है।
22. अन्य आवश्यक जानकारी एवं शर्ते कार्यलयीन समय मे विभाग से प्राप्त की जा सकती है।
23. स्वच्छ भारत मिशन योजनांतर्गत शासन द्वारा सुविधा–24 के दिशा के निर्देशों का पालन करना होगा।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)

D:EOI 2017 WORD FILE